


उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

EN/2/1
24-12-2016



संख्या

/ए-5/133

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, मुरादाबाद के पत्रांक-2013/डब्ल्यू-12 एम/108 दिनांक 15.12.2016 मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद के सेक्टर-9ए में स्व वित्त पोषित परियोजना-2016 के स्टिल्ट+चार मंजिले फिनिशड 2 बी.एच.के. के 96 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु सहित प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है -

1-कार्य का विवरण

2-आई0डी0कोड सं0

3- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संदर्भ

4- तकनीकी स्वीकृति की धनराशि

5- लेखा शीर्षक संख्या

प्रतिबन्ध

मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद के सेक्टर-9ए में स्व वित्त पोषित परियोजना-2016 के अन्तर्गत स्टिल्ट+चार मंजिले फिनिशड 2 बी.एच.के. के 96 नग फ्लैट्स के निर्माण कार्य ।
अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-4113/ए-5/133 दि0 21.11.2016 के द्वारा रु0 1129.62 लाख रु0 1120.43 लाख 179/239/16-17

- कार्य की निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराते हुए एवं परिषद की वेब साइट पर देते हुए किया जायेगा।
- नियमानुसार निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- कार्यों का सम्पादन मुख्य अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त किया जाये।
- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की दरों/मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- कार्य सक्षम स्तर से अनुमोदित नींव की डिजाइन एवं अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन/ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा।
- स्ट्रक्चरल डिजाइन Dr. K. Narayan, Phd. (Civil) I.I.T. Roorkee, Prof. Dept. Civil Engineering Institute of Engineering & Technology, Lucknow से वैटेड है। तदनुसार कार्य कराया जायेगा।
- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी।
- प्राक्कलन में सम्मिलित इंजीनियरिंग एप्रिसिएशन/बाजार दरों को आधार नहीं माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए ही कार्य कराया जायेगा।
- अन्य शर्तें निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार रहेंगी।

(मो0 सलीम अहमद)

मुख्य अभियन्ता

दिनांक

21-12-2016

पृ0सं0: 4486 /ए-5/133

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-25/अधिशासी अभियन्ता (पी0-2) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद/लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता